परिशिष्ट – क-III

कासगंज जं0 स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 309 श्रेणी 'सी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संरव्या : **309**	श्रेणी : **सी**
(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक :	**ट्रैफिक**
(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक :	**स्टेशन अधीक्षक/कासगंज जं0**
(4) किलोमीटर पर स्थित :	**420/10–11**
(5) स्टेशन	**कासगंज जं0**
(6) स्टेशन मध्य :	**कासगंज जं0 यार्ड**
(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 :	**बी.जी.**
(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित :	**इकहरी**
(9) सामान्य स्थिति :	**सड़क यातायात के लिए खुला**
(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड :	**नान इंटरलॉक**
(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार :	————
(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i) डाउन लाइन :	————
(ii) अप लाइन :	————
(13) संकेतन व्यवस्था :	————
(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी :	**टेलीफोन स्टेमा/ कासगंज जं0 से सम्बद्ध**
(15) समपार फाटक की चौड़ाई :	**5.00 मीटर**
(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) :	**अन्य**
(17) सड़क का नाम :	**आमापुर–कासगंज जं0**
(18) पक्का/कच्चा :	**पक्का**

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(19) पहुॅच मार्ग :	**एएसपी**
(20) सड़क की चौड़ाई :	**4.00 मीटर**
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	**90^0**
(22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**समतल**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**समतल**
(23) सड़क की चौड़ाई (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	**सीधा**
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	**सीधा**
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	**नहीं**
(25) बैरियर का प्रकार :	**लिफिटंग बैरियर**
(26) चेक रेल की लम्बाई :	**7.50 मीटर**
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	**पक्का**
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	**5.00 मीटर**
(29) रोड साइन :	**उपलब्ध**
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	**उपलब्ध**
(31) टी0वी0यू0 :	——
(32) अगली गणना की तिथि :	——
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	**हैं**
(34) गेटमैनो की संरव्या :	**दो**
(35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र :	**कासगंज जं0**
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	**कासगंज जं0**
(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही :	**हॉ**

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.2 उपकरण –

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर फ्लैग लाल	03
(5)	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्चा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
(20)	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21)	टोकरी	01
(22)	सीटी (Thunder Whistle)	01
(23)	दीवार घड़ी	01
(24)	छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

1.4 गेटमैन के कर्त्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। गाड़ियों के संचलन के दौरान समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गई निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दाँये हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हुईं हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

(i) गेट मैन जब समपार फाटक, सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुई ट्रेन का प्रेक्षण करेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
(v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे– हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त संरक्षा चेन, डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा।

(i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/राया, को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तदानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0, को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) <u>आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u>

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0, को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0, कोई प्रत्युत्र नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखे लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहॅुच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लोको पायलट को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, चालक का नाम, मालिक का नाम ततपश्चात् गेट मैन स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0, अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति :–

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में पाशित (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के पाश (Lock) से चाभी 'डब्लूडब्लू–1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा बूम लॉक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाभी 'डब्लूडब्लू–1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खीचनें से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। गेट मैन चाभी 'डब्लूडब्लू' को बूम लॉक लीवर से निकाल कर अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा। तत्पश्चात् गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर लोड को समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी चाभी 'डब्लूडब्लू' को बूम लॉक लीवर में लगाकर घुमाएगा एवं बूम लॉक लीवर को नार्मल करेगा। दूसरी चाभी 'डब्लूडब्लू–1' बूम लॉक लीवर से निकालकर विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

लोड के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान –

(I) गाडियों का संचालन –

कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 किसी लोड को पिट लाइन की ओर अथवा गुडस शेड में भेजने/निकालने के लिये शटिंग के पूर्व गेटमैन को इसकी सूचना गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।

(II) यह सूचना शटिंग करने के पहले दी जायेगी।

(III) गेटमैंन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं लाक करेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के साथ करेगा।

(IV) कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 गेटमैंन से इस गोपनीय संख्या की प्राप्त के बाद शन्टर को शटिंग के लिये कहेगा।

(V) इस प्रकार एक बार किसी गाडी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नही खोला जायेगा जब तक शंटिंग कार्य पूरा न हों जाये।

(VI) कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 किसी डाउन गाडी की शटिंग के लिये शटिंग मास्टर को यार्ड में आने के लिये बतायेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

नोट :– स्टेमा/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता –**

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 गेट के तरफ जाने वाले लोड के लोको पायलट को सतर्कता आदेश करेगा।
2. गेट के तरफ आने वाली गाडियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल कासगंज जं0 गेटमैन को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
3 जारी किये गये सतर्कता आदेश में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
4 लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ संकेत नही दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही है तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
5 कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
6 कार्यरत स्टेमा/पैनल कासगंज जं0 दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम को बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए संरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
6 कार्यरत स्टेमा/पैनल कासगंज जं0 गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए, स्टाप बोर्ड पर रूकने के लिए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 इन्जी0 विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
8. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इन्जी0 विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 समपार फाटक पर अवरोध –

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।
2. सके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3 यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 से कोई प्रत्युतर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4 गेटमैन पटाखा लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन सम्भावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
5 तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6 गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे चालक का नाम, सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे हैं।
7 रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 को सूचित करेगा ।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

8 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 ट्रेन के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने, स्टाप बोर्ड पर रूकने के लिए एवं गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

9 गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाडियों को दिरवायेगा।

10. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार इन्जी0 स्टाफ को गेट के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

11 सामान्य स्थिति केवल इन्जी0 स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी ।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल कासगंज जं0 मद सं 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर